Teacher's Manual

PARAKH BOOKS
Big Ideas Simply Explained

Complete Course

व्याकरण गौरव

• उमा शर्मा
• शैफाली जैन

Book-6 2
Book-7 16
Book-8 32

व्याकरण-6

1 भाषा और व्याकरण

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (ii)

2. (क) बोली (ख) सामाजिक (ग) कथित (घ) रोमन
(ङ) भाषा

3. (क) भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों तथा भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुँचाया जाता है तथा दूसरों के विचारों व भावों को समझा व पढ़ा जा सकता है।

(ख) व्याकरण के अध्ययन से भाषा प्रभावशाली एवं त्रुटिरहित हो जाती है।

(ग) भाषा तथा बोली में निम्नलिखित अंतर है–

1. बोलियाँ किसी भाषा का अंग होती हैं।
2. भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, किन्तु बोली का क्षेत्र सीमित।
3. साहित्य-रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है।
4. भाषा व्याकरणसम्मत होती है, बोली नहीं।
5. बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र में बोली का प्रयोग करते हैं। क्षेत्र के बाहर वे भाषा का प्रयोग करते हैं।

जब यह बोली एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है तब उसे 'भाषा' कह दिया जाता है।

(घ) लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई-न-कोई चिह्न होता है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। भाषा में इन वर्णों की जो बनावट होती है अर्थात् इनको लिखने का जो ढंग है, उसे लिपि कहते हैं।

(ङ) हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है।

2 वर्ण-विचार

1. (क) (ii) (ख) (iii)

2. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (ii) (घ) (v)
(ङ) (i)

3. (क) तालव्य (ख) वर्णमाला (ग) ऊष्म (घ) विसर्ग
(ङ) दीर्घ स्वर

4. (क) भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण (Letter) कहलाती है। इन्हीं वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि व ध्वनि चिह्न दोनों के लिए होता है। ये दो प्रकार के होते है– स्वर तथा व्यंजन।

(ख) जिन वर्णों के बोलने में वायु के निकलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं– अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ,ए, ऐ, ओ, औ।

(ग) अं तथा अः न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इसी कारण इन्हें 'अयोगवाह' कहते हैं।

(घ) य, र, ल, व वर्ण अन्तःस्थ कहलाते हैं।

(ङ) मूर्धन्य वर्ण– ऋ, ट वर्ग तथा ऱ्, ष् हैं।

3 शब्द-विचार

1. (क) (ii) (ख) (i) (ग) (iv)

2. (क) ✗ (ख) ✗ (ग) ✗ (घ) ✓

3.

(क) रसोईघर	**रूढ़ शब्द**	(i) कपड़ा
(ख) पानी	**यौगिक शब्द**	(ii) पीताम्बर
(ग) दशानन	**योगरूढ़ शब्द**	(iii) देवालय
(घ) रोटी		(iv) पाठशाला
(ङ) पंकज		(v) स्नानघर

(रसोईघर — यौगिक शब्द; पानी — रूढ़ शब्द; दशानन — योगरूढ़ शब्द; रोटी — रूढ़ शब्द; पंकज — योगरूढ़ शब्द; रूढ़ शब्द — कपड़ा; योगरूढ़ शब्द — पीताम्बर; यौगिक शब्द — देवालय, पाठशाला, स्नानघर)

4. (क) शब्द (ख) रूढ़ (ग) तत्सम (घ) विदेशी

5. (क) वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।

(ख) रचना के अनुसार शब्द के तीन भेद हैं– रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ शब्द।

(ग) रूढ़ शब्द किसी अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। जबकि योगरूढ़ दो शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं; जैसे– दशानन (रावण) आदि।

(घ) उन संस्कृत शब्दों को जो हिन्दी में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं; जैसे– वायु, विद्या, मयूर आदि।

(ङ) हिन्दी के जो शब्द संस्कृत शब्दों के बिगड़ने से बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं; जैसे– सूरज, आग, साँप आदि।

(च) अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं– सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द।

4 संज्ञा

1. (क) (iv) (ख) (iii) (ग) (ii)
2. (क) ✗ (ख) ✗ (ग) ✓ (घ) ✗ (ङ) ✓
3. (क) (ii) (ख) (iv) (ग) (v) (घ) (iii) (ङ) (i)
4. (क) स्वस्थ (ख) व्यक्तिवाचक (ग) पढ़ना
   (घ) मिलना (ङ) भाववाचक
5. (क) व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
   (ख) जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
   (ग) जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराती है; जैसे– लड़का, गाँव, शहर आदि। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसके विशेष नाम का बोध कराती है; जैसे– रोहन, रामपुर, मेरठ आदि।
   (घ) जो नाम किसी गुण, भाव, आकार–प्रकार आदि को बताते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएँ कहलाती हैं। भाव स्वतन्त्र नहीं देखे जा सकते, वे या तो व्यक्ति में रहते हैं या जातियों में। अच्छाई, बुराई, मुटापा, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, कड़वाहट, लम्बाई, चौड़ाई इत्यादि सभी भाववाचक संज्ञाएँ हैं।

5 लिंग

1.

पापी	पापिनी	पापिन ✓
नाती	नातिन ✓	नातिनी
मोर	मोरिनी	मोरनी ✓
पंडित	पंडिताइन ✓	पंडती

2. (क) ✗ (ख) ✗ (ग) ✓ (घ) ✗
3.

कड़वाहट	स्त्रीलिंग	लाली	स्त्रीलिंग	अंग्रेजी	स्त्रीलिंग
थकावट	स्त्रीलिंग	कोमलता	स्त्रीलिंग	फाल्गुन	पुल्लिग
मधुर	पुल्लिग	चिकनाहट	स्त्रीलिंग	आहट	स्त्रीलिंग

4. (क) संज्ञा का वह रूप जिससे उसके स्त्री, पुरुष, दोनों (स्त्री व पुरुष) तथा निर्जीव होने का बोध होता है, लिंग कहलाता है; जैसे– लड़का–लड़की, माता–पिता आदि।
   (ख) लिंग के दो भेद हैं– पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग।
   पुल्लिग (Masculine Gender)– पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिग कहलाते हैं; जैसे– हाथी, शेर, चूहा, चाचा, दादा आदि।

6 वचन

1. (क) ✓ (ख) ✓ (ग) ✓ (घ) ✗ (ङ) ✓
   (च) ✓ (छ) ✓ (ज) ✓ (झ) ✓
2. (क) बुढ़ियाँ (ख) कन्याएँ (ग) चिड़ियाँ
   (घ) अध्यापिकाएँ (ङ) बालाएँ (च) जीभें
   (छ) आँखें (ज) संन्यासी लोग (झ) दादा
3. (क) शब्द के उस रूप को जो किसी वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध कराता है, वचन कहलाता है।
   (ख) हिन्दी में वचन दो प्रकार के होते हैं।
   (ग) आकारान्त पुल्लिंग हिन्दी के शब्दों के बहुवचन में 'आ' का 'ए' हो जाता है–

भैंसा	भैंसे	गधा	गधे	मटका	मटके
घोड़ा	घोड़े	चूहा	चूहे	घड़ी	घड़े

अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के 'अ' का बहुवचन में 'एँ' हो जाता है–

रात	रातें	टाँग	टाँगें	पूँछ	पूँछें
गाय	गायें	पुस्तक	पुस्तकें	जीभ	जीभें

दीर्घ 'अ' वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ 'एँ' जोड़ देते हैं और 'इया' वाले शब्दों को 'इयाँ' कर देते हैं–

चिड़िया	चिड़ियाँ	बुढ़िया	बुढ़ियाँ	बिटिया	बिटियाँ
बन्दरिया	बन्दरियाँ	बछिया	बछियाँ	चुहिया	चुहियाँ

'इ' और 'ई' से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के 'इ–ई' के बदले बहुवचन में 'इयाँ' हो जाता है–

नदी	नदियाँ	कुमारी	कुमारियाँ	बेटी	बेटियाँ
बुद्धि	बुद्धियाँ	मति	मतियाँ	शक्ति	शक्तियाँ

7 कारक

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (iv)
2. (क) ✗ (ख) ✓ (ग) ✗
   (घ) ✓ (ङ) ✓
3. (क) (ii) (ख) (i) (ग) (i)
   (घ) (ii) (ङ) (i)

4. (क) में (ख) पर (ग) की (घ) पर

5. (क) संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से सम्बन्ध प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं।

(ख) कारक के आठ भेद होते हैं–

1. कर्ता, 2. कर्म, 3. करण, 4. सम्प्रदान, 5. अपादान, 6. सम्बन्ध, 7. अधिकरण, 8. सम्बोधन।

(ग) कारक चिह्नों को विभक्ति कहते हैं। अधिकरण कारक का चिह्न 'में, पर' तथा अपादान कारक का चिह्न 'से' (अलगाव) है।

8 सर्वनाम

1. (क) (ii) (ख) (i)

2. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (ii) (घ) (v) (ङ) (iv)

3. (क) उसके लिए कुछ फल दे दो।

(ख) उसने मेरी पुस्तकें बर्बाद कर दीं।

(ग) मेरी आँखें दुख रही हैं।

(घ) मुझे तुमसे कुछ पूछना है।

4. (क) संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित छः भेद होते हैं–

1. पुरुषवाचक सर्वनाम 2. निश्चयवाचक सर्वनाम
3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम 4. सम्बन्धवाचक सर्वनाम
5. प्रश्नवाचक सर्वनाम 6. निजवाचक सर्वनाम

(ख) संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है; जैसे– राम, मेरठ, किताब आदि। जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं; जैसे– मैं, तुम, वह, आदि।

(ग) पुरुष तीन प्रकार के होते हैं– 1. उत्तम पुरुष, 2. मध्यम पुरुष तथा 3. अन्य पुरुष।

(घ) 'कौन' और 'क्या' शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम से सम्बन्धित हैं।

9 विशेषण

1. (क) (ii) (ख) (iii)

2. (क) काला (ख) नीले (ग) चार (घ) सुन्दर
(ङ) सफेद

3. (क) ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, विशेषण कहलाते हैं; जैसे– अच्छा, सौ, कुछ आदि।

(ख) विशेषण के चार भेद हैं– 1. गुणवाचक, 2. परिमाणवाचक, 3. संख्यावाचक, 4. सार्वनामिक।

(ग) सार्वनामिक विशेषण– सर्वनामों से बने विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होता है तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।

(घ) परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुएँ गिनी नहीं जातीं, उनका माप–तौल बताया जाता है, जबकि संख्यावाचक में माप–तौल नहीं बताया जाता, बल्कि गिनती बताई जाती है। कुछ विशेषणों का दोनों रूपों में प्रयोग देखिए–

विशेषण	**परिमाणवाचक रूप में**	**संख्यावाचक रूप में**
बहुत	बहुत पानी	चार बच्चे
अधिक	अधिक अनाज	दस पुस्तकें

10 क्रिया

1. (क) (ii) (ख) (i) (ग) (ii)

2. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (v) (घ) (i) (ङ) (ii)

3. कहा, लौटूँ, रहना, रक्षा करना, कहकर, चले गए।

4. (क) जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं; जैसे–
• सुरेश पढ़ रहा है। • बैल दौड़ता है। • कुत्ता भौंक रहा है।

(ख) जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है; जैसे–
• मोना गीत गाती है। • जय स्कूल जा रहा है।
उपर्युक्त वाक्यों में 'गाती है' तथा 'जा रहा है' क्रिया पदों के साथ कर्म (गीत तथा स्कूल) है; अतः ये सकर्मक क्रियाएँ हैं।

(ग) जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है; जैसे–
• बैल दौड़ता है। • कुत्ता भौंक रहा है।
उपर्युक्त वाक्यों में 'दौड़ता है' तथा 'भौंक रहा है' क्रिया पदों के साथ कर्म नहीं है; अतः ये अकर्मक क्रियाएँ हैं।

(घ) जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, उसे धातु कहते हैं; जैसे– पढ़, लिख, हँस, चल, गा, सो, देख, खेल, आ, जा, बैठ, सुन, रो आदि।

11 काल

1. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (ii)
2. (क) (iii) (ख) (v) (ग) (i) (घ) (ii) (ङ) (iv)
3. (क) रो रहा है। (ख) आ रहा होगा (ग) खाया होगा
   (घ) लग रहा था। (ङ) करेंगे (च) लिख लिया है।
4. (क) क्रिया के रूप से कार्य करने, होने या न होने के समय का बोध होता है, इस समय को ही क्रिया का काल कहते है; जैसे–
   - कविता पुस्तक पढ़ती है।
   - मोहन ने क्रिकेट खेला।
   - जय कल स्कूल नहीं जाएगा।

   उपर्युक्त वाक्यों में 'पढ़ती है', 'खेला' तथा 'जाएगा' क्रिया पदों से कार्य के होने का समय ज्ञात होता है। क्रिया के सम्पन्न होने के इसी समय को काल कहते हैं।

   (ख) काल तीन प्रकार का होता है– वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत् काल।

   (ग) बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं; जैसे–
   - सन् 1857 में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम हुआ।
   - सन् 1947 में देश स्वतन्त्र हो गया।

   इन वाक्यों में 'हुआ' तथा 'हो गया' क्रियाएँ भूतकाल की हैं; अर्थात् क्रियाएँ पहले हो चुकी हैं।

   (घ) आने वाले समय को भविष्यत् काल कहते हैं; जैसे–
   - पिताजी कल आएँगे।
   - मोना सो रही होगी।

   उपर्युक्त वाक्यों में 'आएँगे' तथा 'सो रही होगी' से भविष्यत् काल का बोध हो रहा है; अतः ये भविष्यत् काल की क्रियाएँ हैं।

12 क्रिया-विशेषण

1. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (i)
2. (क) ✗ (ख) ✓ (ग) ✓ (घ) ✗ (ङ) ✗

3. (क) (v) (ख) (iii) (ग) (ii) (घ) (iv) (ङ) (i)

4.

प	वै	त	भी
जै	से	ढी	क
पा	स	क	य
उ	त	ना	य
ज	ब	व	हाँ

तभी जैसे पास उतना
जब वहाँ वैसे तब यहाँ

5. (क) वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाला पद क्रिया-विशेषण कहलाता है; जैसे-
- वह थोड़ा-थोड़ा खाता है। • मोना प्रतिदिन खेलती है।
- दौड़कर तुरन्त वहाँ जाओ।

उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा-थोड़ा, प्रतिदिन तथा तुरन्त क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं; अतः ये क्रिया-विशेषण हैं।

(ख) क्रिया-विशेषण के चार भेद हैं।

(ग) जिन शब्दों से क्रिया की अधिकता-न्यूनता आदि परिमाण का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे-
- एलन अधिक बोलता है। • मोना थोड़ा-थोड़ा खाती है।
- जय कम तौलता है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'थोड़ा-थोड़ा', 'अधिक', 'कम' क्रिया के परिमाण को बताने के कारण परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण हैं।

13 सम्बन्धबोधक अव्यय

1. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (iv)
2. (क) स्थानवाचक (ख) व्यतिरेकवाचक (ग) दिशावाचक
(घ) दिशावाचक (ङ) स्थानवाचक
3. (क) (v) (ख) (iii) (ग) (i) (घ) (ii)
(ङ) (iv)
4. (क) के बिना, के समान (ख) के द्वारा (ग) में
(घ) धैर्य से (ङ) से पहले
5. (क) वे अविकारी शब्द, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाते हैं, सम्बन्धबोधक अव्यय कहलाते हैं।

(ख) सम्बन्धबोधक अव्यय के भेद 11 हैं–

उद्देश्यवाचक	विरोधवाचक
कारणवाचक	साधनवाचक
सम्बन्धवाचक (सहचरबोधक)	समानतासूचक
व्यतिरेकवाचक	कालवाचक
स्थानवाचक	दिशावाचक

14 समुच्चयबोधक अव्यय

1.

संयोजक	**और**	**तथा**
विभाजक	**किन्तु**	**क्योंकि**
विकल्पसूचक	**या**	**न कि**

2. (क) दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले अविकारी शब्द समुच्चयबोधक अथवा योजक अव्यय कहलाते हैं।
   (ख) जो समुच्चयबोधक शब्द जोड़ने के काम आएँ, संयोजक कहलाते हैं; जैसे– और, तथा, एवं आदि।
   (ग) जो समुच्चयबोधक शब्द विकल्प का बोध कराएँ, उन्हें विकल्पसूचक कहते हैं; जैसे– या अथवा न कि आदि।

15 विस्मयादिबोधक (सम्बोधक) अव्यय

1. (क) अरे! (ख) हाय! (ग) हाय रे! (घ) मैया!
2. (क) हर्षसूचक (ख) शोकसूचक
   (ग) आश्चर्यसूचक (घ) घृणासूचक
3. (क) हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि मनोभावों तथा पुकारने अथवा सम्बोधित करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादिबोधक अथवा सम्बोधक अव्यय कहलाते हैं।
   - अरे! कितना सुन्दर फूल।
   - ओह! यह मर गया।
   - छिः! कितना गन्दा लड़का।

   (ख) 1. इनके द्वारा भावों की तीव्रता प्रकट की जाती है।
   2. इनके बाद सम्बोधन चिह्न (!) लगाया जाता है।
   3. इनका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता है।
   4. ये प्रायः वाक्य के शुरू में आते हैं।

16 सन्धि

1. (क) धर्म + आत्मा दीर्घ (ख) कवि + इन्द्र दीर्घ
   (ग) राजा + इन्द्र गुण (घ) तथा + एव वृद्धि
2. (क) वर्णों की अति समीपता के कारण एक या दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है, उसे सन्धि कहते हैं; जैसे–
   राज + इन्द्र = राजेन्द्र यहाँ 'ज' के अ और इन्द्र की इ मिलकर ए हो गए हैं।
   (ख) जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अन्त में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारम्भ में भी स्वर होता है, ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर सन्धि कहते हैं।
   उदाहरण– हिम + आलय = हिम् + अ + आलय = हिमालय।
   यहाँ 'हिम' शब्द के म में निहित अ दूसरे शब्द आलय के आ में मिल गया है। दोनों स्वर के मेल से हुई यह सन्धि 'स्वर संधि' है।
   (ग) स्वर सन्धि पाँच प्रकार की होती है।

17 पर्यायवाची शब्द

1. (क) सुमन (ख) चक्षु (ग) अवनि
2. | | | | |
   |---|---|---|---|
   | आकाश | नभ, गगन | गणेश | गजानन, लंबोदर |
   | लक्ष्मी | श्री, कान्ता | सरस्वती | गिरा, शारदा |
   | अग्नि | पावक, आग | अतिथि | मेहमान, पाहुना |
   | धरती | धरा, भू | इच्छा | चाह, अभिलाषा |

18 विपरीतार्थी शब्द

1. (क) आलस्य (ख) अनुचित (ग) निरर्थक
2. | | | | |
   |---|---|---|---|
   | स्वस्थ–अछूत | एक–दो | एकता–अनेकता ✓ | सभ्य–अशुभ |
   | उत्तम–अछम | उचित–अनुत्तीर्ण | अर्थ–आदर | उदार–अनुदार ✓ |
3. जो शब्द आपस में विपरीत (उल्टा) अर्थ प्रकट करें, वे 'विपरीतार्थी' शब्द कहलाते हैं; जैसे– नया – पुराना, बूढ़ा – जवान आदि।

20 समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द

1. (क) (i) (ख) (iii)
2. (क) अन्दर **भीतर** (ख) चिर **पुराना**
   अन्तर **भेद** चीर **वस्त्र**
   (ग) अभय **निर्भय** (घ) कटक **सेना**
   उभय **दोनों ओर** कटुक **कड़वा**

21 अनेक शब्दों (वाक्यांश) के लिए एक शब्द

1. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (ii)
2. (क) अकर्मण्य (ख) अगणित (ग) सर्वज्ञ (घ) अल्पभाषी
   (ङ) अदृश्य (च) नासिक्य

22 एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द

1. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (iii)
2. (क) अवस्था – जीवन का बीता हुआ भाग।
   आयु – पूर्ण जीवनकाल।
   (ख) आमन्त्रण – किसी अवसर पर सम्मिलित होने की प्रार्थना।
   निमन्त्रण – भोजनादि के अवसर पर बुलाना।
   (ग) खोज – किसी छिपी हुई वस्तु को ढूँढ़ना।
   आविष्कार – किसी नई वस्तु का निर्माण करना।
   (घ) घर – परिवार से सम्बन्ध रखने वाला निवास–स्थान।
   आवास – रहने का कोई भी स्थान।
   (ङ) अस्त्र – जो हथियार फेंककर चलाया जाए; जैसे–तीर, भाला आदि।
   शस्त्र – जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाए; जैसे– गदा, तलवार आदि।
   (च) अर्चना – धूप, दीप आदि से देवता की औपचारिक सेवा।
   पूजा – बिना किसी सामग्री के भक्तिपूर्ण विनयी भाव से ईश्वर की सेवा।

23 उपसर्ग

1. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (iii)
2. शब्दों तथा धातुओं के पूर्व जो शब्दांश लगाए जाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं।
3. हिन्दी में प्रचलित उपसर्गों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

24 प्रत्यय

1. (क) (ii) (ख) (iii)
2. (क) (iii) (ख) (v) (ग) (i) (घ) (ii) (ङ) (iv)
3.

	प्रत्यय	शब्द	शब्द
(क)	वाला	लिखनेवाला	गानेवाला
(ख)	आऊ	टिकाऊ	बिकाऊ
(ग)	आहट	बौखलाहट	कड़वाहट
(घ)	वान	भाग्यवान	पुत्रवान

4. (क) जो शब्दांश शब्दों के बाद जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं।
   (ख) प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं।
   (ग) उपसर्ग शब्द के प्रारम्भ में लगाए जाते हैं; जैसे– उप + स्थित = उपस्थित तथा प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते है; जैसे– पढ़ + आई = पढ़ाई आदि।
   (घ) जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगकर संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्द बनाते हैं, वे कृत् प्रत्यय कहलाते हैं; जैसे– 'पढ़' धातु से 'आई' प्रत्यय लगकर 'पढ़ाई' भाववाचक संज्ञा बन गई है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित–प्रत्यय कहलाते हैं; जैसे– विद्वान् + ता = विद्वत्ता। मधुर + य = माधुर्य।

25 वाक्य-विचार

1. (क) (iv) (ख) (ii) (ग) (iii)
2.

	उद्देश्य	विधेय
(क)	श्री राधेश्याम	अच्छे अधिवक्ता हैं।
(ख)	श्रीराम की पत्नी सीता	पंचवटी में सो रही थी।

(ग) रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्रीराम को सारा भेद बता दिया।
(घ) तुम्हारा भाई मोहन क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है।
(ङ) तुम्हारे स्कूल की छात्रा रमा अनुत्तीर्ण हो गई।

3. (क) वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है; जैसे–
   - मोना बीमार है।
   - जय खेल रहा है।

   उपर्युक्त वाक्यों में मोना तथा जय के बारे में कहा जा रहा है; अतः ये उद्देश्य हैं।

   उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, विधेय कहलाता है।

   उपर्युक्त वाक्यों में 'बीमार है' तथा 'खेल रहा है' क्रमशः मोना व जय के बारे में कहा जा रहा है; अतः 'बीमार है' तथा 'खेल रहा है' विधेय हैं।

   (ख) रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते है।

   (ग) समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चयबोधक से जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं; जैसे– मोहन लिखता है और राम खेलता है।

   (घ) अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद हैं।

26 विराम-चिह्न

1. राम ने कहा, "रावण तो मर गया। लंका का राज्य अब कौन सँभालेगा, लक्ष्मण? क्या यह राज्य तुम सँभाल सकोगे?" लक्ष्मण बोले, "आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मुझे हर्ष ही होगा, पर विभीषण जैसे उत्तराधिकारी के होते हुए क्या यह उचित है?"
2. सीता बोली, "हाय! रामजी ने मुझ पर भी आरोप लगा दिया। आश्चर्य! लक्ष्मण, उन्हें कह दो, मैं अग्नि–परीक्षा अवश्य दूँगी!"
3. (क) हम बातचीत करते समय सदा समान प्रवाह से न तो बोलते हैं और न ही लिखते हैं। अपनी बात पर बल देने के लिए हमें रुकना पड़ता है। ऐसे में कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं,कहीं अधिक देर के लिए। कहीं प्रश्न प्रकट करने की मुद्रा में बोलना पड़ता है, तो कहीं आश्चर्य प्रकट करने की मुद्रा में। वाक्य में इन स्थितियों को प्रकट करने के लिए कुछ चिह्न निर्धारित किए गए हैं। ये चिह्न विराम–चिह्न कहलाते हैं।

(ख) वाक्य के पूर्ण हो जाने पर इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे– मोहन खेलता है। राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया।
इस चिह्न का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अन्त में होता है।

(ग) पढ़ते समय अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिये अल्पविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे– मोहन पढ़ता है, अखिल सोता है। बाजार से चीनी, चाय और मक्खन लेते आना। श्याम ने कहा, "भागो, वरना पकड़े जाओगे।"
जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, वहाँ अर्द्ध–विराम चिह्न लगाया जाता है; जैसे–
सूर्योदय हो गया; पक्षी चहचहाने लगे; पवन भी मंथर गति से चल पड़ी।

27 अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप

1. (क) लिंग (ख) वचन (ग) सर्वनाम (घ) वचन
2. (क) उसकी माता जी विद्यालाय में आएँगी।
   (ख) आप यहाँ फिर कब आओगे?
   (ग) तुम किसके साथ खेलना चाहते हो?
   (घ) मैंने किसी को कुछ नहीं बताया।
   (ङ) उसे हमारे साथ भ्रमण के लिए जाना चाहिए।

28 पत्र-लेखन

स्वयं करें।

29 कहानी-लेखन

1. (क) (ii) (ख) (i)
2. (क) कौतूहल (ख) शिक्षा, जीवन–संदेश (ग) मनोरंजन

30 निबन्ध-लेखन

1. (क) (iii) (ख) (ii)
2. (क) तीन (ख) तीन (ग) समन्वय (घ) उपसंहार

व्याकरण-7

1 भाषा, व्याकरण और बोली

1. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (i)
2. (क) ✓ (ख) ✗ (ग) ✓ (घ) ✓
   (ङ) ✓
3. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (iv) (घ) (v)
   (ङ) (ii)
4. (क) भाषा (ख) भाषा (ग) बोली (घ) भाषा
   (ङ) भाषा (च) लिपि
5. (क) भाषा शब्द का निर्माण 'भाष्' धातु से हुआ है जिसका अर्थ है– 'बोलना'। किसी बात को शब्दों और वाक्यों द्वारा बोला, लिखा या सुना जा सकता है। इस प्रकार भाषा अभिव्यक्ति का साधन है।
   (ख) संसार में हिन्दी बोलने वालों का तीसरा स्थान है।
   (ग) लिखित और मौखिक भाषाओं में से सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास हुआ।
   (घ) भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती है। भाषा का प्रयोग सरकारी काम–काज तथा साहित्य–लेखन में होता है। बोली अपने क्षेत्र तक सीमित होती है परन्तु भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है परन्तु बोली में नहीं।

2 वर्ण-विचार

1. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (ii)
3. (क) ✗ (ख) ✗ (ग) ✓ (घ) ✗
   (ङ) ✓
3. (क) वर्ण की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं–
   • वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है।

- इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं।
- इनके मेल से शब्द बनते हैं।

(ख) प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जिन वर्णों के बोलने में वायु के निकलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिन्दी भाषा में 11 स्वर होते हैं–अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

(ग) स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है।

(घ) उच्चारण के आधार पर–

कंठ	:	क, ख, ग, घ, ङ, ह
दन्त–ओष्ठ	:	व
तालू	:	च, छ, ज, झ, ञ, य और श
कंठ–तालू	:	ए और ऐ
मूर्धा	:	ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, ष
कंठ–ओष्ठ	:	ओ और औ
दन्त	:	त, थ, द, ध, ल, स
नासिका	:	अं, ङ, ञ, ण, न
ओष्ठ	:	प, फ, ब, भ, म

(ङ) किसी वर्ण का उच्चारण मुख के अंदर जिस भाग से होता है, उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं।

3 शब्द-विचार

1. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (ii)
2. (क) ✗ (ख) ✗ (ग) ✗ (घ) ✗
3. (क) वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है; जैसे– अ + म + न = अमन आदि।

   (ख) जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों में बँधकर होता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य से अलग अकेला ही वह शब्द कहलाता है। 'लड़का, सुन्दर , गुलाब' शब्द हैं, पद नहीं। किन्तु 'लड़का एक सुन्दर गुलाब लिए है' में प्रत्येक शब्द पद कहलाएगा।

(ग) जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और जिनका विशिष्ट अर्थ हो, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं; जैसे– हिमालय (हिम = बर्फ, आलय = घर) परन्तु यहाँ हिमालय का अर्थ बर्फ का घर न होकर एक पर्वत विशेष होता है। इसी प्रकार जलज, नीलकंठ, दशानन आदि का अर्थ क्रमशः कमल, शिवजी और रावण होता है।

4 संज्ञा

1. (क) ✓ (ख) ✗ (ग) ✗
   (घ) ✓ (ङ) ✓

2.

कमाई	–	विशेषण		क्रिया	✓
लिखावट	–	क्रिया	✓	विशेषण	
मित्रता	–	विशेषण		संज्ञा	✓
मधुरता	–	विशेषण	✓	सर्वनाम	

3. (क) किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
   (ख) जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे– मनुष्य, गाय, नदी, पुस्तक आदि। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, या व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, व्यापार और अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण, दोष, भाव, धर्म आदि प्रायः अमूर्त होते हैं; जैसे– सुन्दरता, बचपन, पढ़ाई, सफाई, बुढ़ापा आदि।
   (ग) पढना – पढ़ाई, चढ़ना – चढ़ाई, लिखना – लिखावट आदि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएँ हैं।

5 लिंग

1. (क) (iii) (ख) (ii)
2. (क) चित्र (ख) सीता (ग) बन्दर (घ) पक्षी
3. (क) लिंग का अर्थ होता है– 'चिह्न'। चिह्न का अभिप्राय पहचान से है; अर्थात् शब्द के जिस रूप से यह मालूम पड़े कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं।

6 वचन

1. (क) (iii) (ख) (ii)
2. (क) एकवचन (ख) बहुवचन (ग) एकवचन (घ) एकवचन
3. (क) शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है, वचन कहलाता है।

7 कारक

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (i)
2. (क) ✗ (ख) ✗ (ग) ✗ (घ) ✓
3. (क) (iv) (ख) (v) (ग) (i) (घ) (iii)
   (ङ) (ii)
4. (क) सरला गीत गाती है।
   (ख) कौआ डाली पर बैठा है।
   (ग) मोहन! तुम्हें हमारे साथ खेलना है।
   (घ) वह स्कूल से आया है।
   (ङ) मैं खाना खाऊँगा।
   (च) तुम्हें क्या खाना है?
   (छ) हम पुस्तक पढ़ते हैं।
5. (क) संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका सम्बन्ध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, कारक कहलाता है।
   (ख) कारक छह प्रकार के होते हैं।
   (ग)

कारक	**परसर्ग**	**उदाहरण**
कर्त्ता	ने	मैंने पुस्तक पढ़ी।
कर्म	को, से	हरि ने मोहन को बुलाया।
करण	से, के द्वारा	सतीश ने पेन से लिखा।
सम्प्रदान	को, के लिए	तुमने अजय को एक फल दिया।
अपादान	से (अलग होना)	वह दिल्ली से आया है।
अधिकरण	में, पर	अध्यापक कक्षा में हैं।

(घ) करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का चिह्न 'से' होता है। लेकिन करण कारक का 'से' कार्य के साधन के रूप में प्रयोग होता है जबकि अपादान कारक का 'से' किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलगाव (अलग होना) प्रकट करता है।

8 सर्वनाम

1. (क) ✗ (ख) ✓ (ग) ✗ (घ) ✓
2. (क) पुस्तक किसने चुराई है?
   (ख) तुम्हारा नाम मुझे मालूम नहीं है।
   (ग) वे मुझसे कह गए थे।
   (घ) यह किसका भाई है?
3. (क) संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
   (ख) संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम होते हैं जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं।

9 विशेषण

1.

इतिहास	**ऐतिहासिक**	नीति	**नैतिक**
संस्कृति	**सांस्कृतिक**	कुल	**कुलीन**
जटा	**जटाधारी**	ईर्ष्या	**ईर्ष्यालु**
पठ्	**पठित**	बुद्धि	**बुद्धिमान**
जल	**जलीय**	रुचि	**रुचिकर**
आत्मा	**आत्मिक**	पिपासा	**पिपासित**

2. (क) वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं; जैसे– छोटा, बड़ा, अच्छा आदि।
   (ख) विशेषण चार प्रकार के होते हैं; जैसे–
   1. गुणवाचक – धनी, निर्धन आदि
   2. संख्यावाचक – पहला, दूसरा, कुछ आदि।
   3. परिमाणवाचक – थोड़ा, बहुत आदि।
   4. संकेतवाचक – यह, वह आदि।

(ग) विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते है; जैसे– 'काला कौआ' में 'काला' विशेषण है; जबकि 'कौआ' विशेष्य है।

(घ) विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। वस्तुओं के गुण–दोष में न्यूनाधिक्य होना स्वाभाविक है। गुणों के इस न्यूनाधिक्य को तुलनात्मक रूप से ही जाना जा सकता है।

विशेषण की तीन अवस्थाएँ होती हैं; जैसे–

1. मूलावस्था – उच्च, लघु।
2. उत्तरावस्था – उच्चतर, लघुतर।
3. उत्तमावस्था – उच्चतम, लघुतम आदि।

10 क्रिया

1. (क) (ii) (ख) (i) (ग) (i)

2. (क) (iii) (ख) (v) (ग) (iv) (घ) (i) (ङ) (ii)

3. (क) तुम्हारे विद्यालय का कैसा वातावरण है?

(ख) वह आपके लिए श्रद्धा रखता है।

(ग) श्री आलोक कुमार अच्छा भाषण देते हैं।

(घ) सुमन ने उसे गालियाँ दीं।

4. (क) किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं।

(ख) क्रिया दो प्रकार की होती है; जैसे–

1. अकर्मक – रोना, हँसना आदि
2. सकर्मक – पढ़ना, लिखना आदि।

(ग) संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद हैं–

1. संयुक्त क्रिया – हँस रहा है, खेलने लगा।
2. नामधातु क्रिया – लतियाना, हथियाना।
3. प्रेरणार्थक क्रिया – करवाना, बनवाना।
4. पूर्वकालिक क्रिया – खाकर, पढ़कर।

11 वाच्य

1. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (iii)

12 अविकारी शब्द

1. (क) (ii) (ख) (ii)
2. (क) जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहे जाते हैं; जैसे– के साथ, और, में आदि।

   (ख) जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और उनके अर्थ को सीमित करते हैं, उन्हें क्रिया–विशेषण कहते हैं।

   क्रिया–विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं–

   1. रीतिवाचक, 2. स्थानवाचक, 3. कालवाचक, 4. परिमाणवाचक

   (ग) जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराते हैं, उन्हें 'कालवाचक क्रिया–विशेषण' कहते हैं; जैसे–

   (i) हरीश **कल** अवश्य आएगा।

   (ii) **आज** पिताजी दोपहर की गाड़ी से आने वाले हैं।

   (घ) स्थानवाचक क्रियाविशेषण क्रिया के होने या करने का स्थान बताते हैं, जबकि परिमाणवाचक क्रियाविशेषण क्रिया की माप–तौल या मात्रा बताते है।

   (ङ) जो अव्यय पदों, पदबन्धों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें 'समुच्चयबोधक अव्यय' कहते हैं।

   समुच्चयबोधक अव्यय के दो मुख्य भेद होते हैं–

   1. समानाधिकरण समुच्चयबोधक,

   2. व्यधिकरण समुच्चयबोधक

   (च) जो अव्यय दो या अधिक समान पदों, पदबन्धों तथा उपवाक्यों को जोड़ता है, 'समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय' कहलाता है; जैसे–

   (i) अन्ना ने भरपूर परिश्रम किया, किन्तु सब बेकार गया।

   (ii) तुमने या तुम्हारी दोस्त ने मेरी पुस्तक चुराई।

   जो अव्यय किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें 'व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय' कहते हैं; जैसे–

   (i) यद्यपि राजन एक अच्छा लड़का है तथापि उसे कोई पसन्द नहीं करता।

   (ii) अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी का दिन था।

13 पदबन्ध

1. (क) (ii) (ख) (i) (ग) (iv)
2. (क) ✓ (ख) ✓ (ग) ✓ (घ) ✗
   (ङ) ✓
3. (क) संज्ञा पदबन्ध (ख) क्रिया पदबन्ध
   (ग) सर्वनाम पदबन्ध (घ) विशेषण पदबन्ध
   (ङ) क्रियाविशेषण पदबन्ध
4. (क) कई पदों के योग से बने हुए वाक्यांश को, जो एक ही पद का काम करता है, उसे पदबन्ध कहते हैं।
   (ख) पदबन्ध निम्नलिखित पाँच प्रकार के होते हैं–
   1. संज्ञा–पदबन्ध, 2. सर्वनाम–पदबन्ध,
   3. क्रिया–पदबन्ध, 4. विशेषण –पदबन्ध,
   5. क्रिया–विशेषण–पदबन्ध।
   (ग) वाक्य में प्रयोग होने पर अव्यय का रूप नहीं बदलता। इसलिए इनका पदबन्ध नहीं होता।

14 उपसर्ग

1. (क) (ii) (ख) (iii)
2. (क) (iv) (ख) (i) (ग) (ii) (घ) (iii)
3. (क) जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
   (ख) हिन्दी में चार प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं।

15 प्रत्यय

1. (क) (ii) (ख) (iii)
2. (क) (v) (ख) (i) (ग) (ii) (घ) (iii) (ङ) (iv)
3.

	मूल शब्द	प्रत्यय		मूल शब्द	प्रत्यय
(क)	इच्छ	आ	(ख)	कमा	आई
(ग)	लकड़ी	हारा	(घ)	लोटा	इया

4. (क) जो शब्दांश शब्दों के अन्त में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं; जैसे– नीरज। नीर में जन्म लेने वाला। पानी में जन्म लेने वाला अर्थात् कमल। इस प्रकार 'नीर' शब्द में 'ज' प्रत्यय लगाकर नीरज हो गया है।

(ख) कृत प्रत्यय क्रिया की धातु में लगाए जाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय क्रिया की धातु के अतिरिक्त अन्य सभी में; जैसे– संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में लगाए जाते हैं।

16 सन्धि

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (iii)

2. (क) (v) (ख) (iv) (ग) (i) (घ) (ii)
(ङ) (iii)

3.

मुनि	+	इन्द्र	=	मुनीन्द्र	स्वर संधि
स्व	+	अधीन	=	स्वाधीन	स्वर संधि
दिक्	+	गज	=	दिग्गज	व्यंजन संधि
गण	+	ईश	=	गणेश	स्वर संधि

4. (क) दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार (परिवर्तन) होता है, उसे 'सन्धि' कहते हैं; जैसे–
अ + अ = आ – धर्म + अर्थ = धर्मार्थ
अ + आ = आ – देव + आलय = देवालय

(ख) सन्धि के निम्नलिखित तीन भेद हैं–
1. स्वर सन्धि, 2. व्यंजन सन्धि, 3. विसर्ग सन्धि
स्वर सन्धि– दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है, उसे 'स्वर सन्धि' कहते हैं; जैसे– देव + अर्चन = देवार्चन।

(ग) यदि अ, आ के आगे इ, ई आए तो 'ए', उ, ऊ आए तो 'ओ' तथा ऋ आए तो दोनों के स्थान पर 'अर्' हो जाता है। इसी को गुण सन्धि कहते हैं।

(घ) इ, ई से परे इ, ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो इ, ई के स्थान पर 'य्' हो जाता है। उ, ऊ के बाद उ, ऊ को छोड़कर कोई स्वर आए तो उ, ऊ के स्थान पर 'व्' हो जाता है।

ऋ, ऋ से परे ऋ, ऋ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ऋ, ऋ के स्थान पर 'र्' हो जाता है। इसे यण सन्धि कहते हैं; जैसे–

इ + अ = य	यदि + अपि	=	यद्यपि
इ + आ = या	वि + आप्त	=	व्याप्त
	इति + आदि	=	इत्यादि

17 समास

1. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (ii)

2.

समस्त पद	समास विग्रह	समास का नाम
दशानन	दस हैं आनन जिसके अर्थात् रावण	बहुव्रीहि
दही–बड़ा	दही में डूबा बड़ा	अधिकरण तत्पुरुष
नीलकंठ	नीला है कंठ जिनका अर्थात् शिवजी	बहुव्रीहि
अभाव	जिसका कोई भाव न हो	नञ् तत्पुरुष
यथाशक्ति	शक्ति के अनुसार	अव्ययीभाव समास
पाप:पुण्य	पाप और पुण्य	द्वन्द्व

3. (क) जो शब्दांश अथवा प्रक्रिया नए शब्दों की रचना करते हैं; उन्हें शब्द–रचना के तत्त्व कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि और समास शब्द–रचना के तत्त्व हैं।

(ख) जो शब्दांश शब्दों के अन्त में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं; जैसे– नीरज। नीर = पानी + ज = जन्म लेने वाला। पानी में जन्म लेने वाला अर्थात् कमल। इस प्रकार 'नीर' शब्द में 'ज' प्रत्यय लगाकर नीरज हो गया है।

(ग) दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक पद समास कहलाता है।

समास का अर्थ है– संक्षेपीकरण; जैसे– राजा का महल को राजमहल भी कह सकते हैं।

दो शब्दों के एक साथ मिलने की छह स्थितियाँ हो सकती हैं।

(घ) जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते

हैं। इस समास में पूर्वपद कर्ता कारक को छोड़कर अन्य कारकों से युक्त होता है तथा उसके कारक चिह्न पूर्वपद तथा उत्तरपद के बीच छिपे रहते हैं। इसलिए पूर्वपद के जिस कारक के चिह्न का लोप होता है, उसी के नाम से इस समास का नाम तत्पुरुष समास रखा गया है। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं–

कर्म तत्पुरुष	करण तत्पुरुष	सम्प्रदान तत्पुरुष
अपादान तत्पुरुष	सम्बन्ध तत्पुरुष	अधिकरण तत्पुरुष

(ङ) जिसमें उपमान–उपमेय तथा विशेषण–विशेष्य का समास हो अथवा पहला शब्द दूसरे शब्द का वर्णन करे तथा दोनों में कर्त्ता कारक की ही विभक्ति हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं; जैसे– परमेश्वर (परम है जो ईश्वर)।

18 विलोम शब्द

1. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (iv)
2. (क) संक्षेप (ख) समर्थन, विपक्ष

19 पर्यायवाची शब्द

1. कमल – राजीव, नीरज, जलज, ~~देवराज~~, सुरेन्द्र।
   तालाब – ~~चतुर~~, सरोवर, जलाशय, सरसी, ~~अवयव~~।
   असुर – दैत्य, दानव, तमीचर, ~~अमीय~~, ~~सोम~~।
   कामदेव – पंचशर, मदन, अनंग, पंचबाग, ~~केसार~~, मयूख।

2.

शिक्षक	गुरु	अध्यापक	सिंह	शेर	वनराज
मछली	मत्स्य	मीन	हाथी	हस्ती	कुंजर
आनन्द	हर्ष	उल्लास	उपवन	वाटिका	बगीचा
किरण	मरीचि	मयूख	गंगा	जाह्नवी	भागीरथी
जल	वारि	नीर	तालाब	सरोवर	जलाशय

20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

1. (क) निर्भय (ख) अजातशत्रु
2. (क) दत्तक (ख) क्षणिक (ग) निरुद्देश्य

(घ) निशाचर (ङ) उऋण (च) धर्मनिष्ठ
(छ) निर्दयी (ज) दुर्लंघ्य

21 समोच्चारित शब्द

1. (क) (iii) (ख) (iii) (ग) (i)

22 समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द

1. (क) (iii) (ख) (iii) (ग) (iii)
2. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (iv) (घ) (i)
3. (क) आयु (ख) छाया (ग) अस्त्रों (घ) अत्याचार

23 अनेकार्थक शब्द

1. (क) (iii) (ख) (ii)
2. (क) धुरी, द्यूत, ज्ञान (ख) गाय, इन्द्रिय
(ग) जल, प्राण, वायु (घ) सम्मान, माप–तौल
(ङ) सूर्य, सखा (च) सोना, धतूरा, गेहूँ

24 शब्द-युग्म

1. (क) (iii) (ख) (ii)
2. (क) शब्द–युग्म का शाब्दिक अर्थ है– शब्दों का जोड़ा अर्थात् शब्द–युग्म शब्दों के उन जोड़ों को कहते हैं, जो शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अथवा उनके अर्थ पर बल देने के लिए हमारी भाषा में बन गए हैं।
(ख) शब्द–युग्मों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है।
(ग) शब्द–युग्म छह प्रकार के होते हैं।

25 मुहावरे और लोकोक्तियाँ

1. (क) आँख दिखाना (ख) कलई खुलना
(ग) टका–सा जवाब देना (घ) तलवे चाटना
2. स्वयं करें।

3. (क) अधजल गगरी, छलकत जाय।

(ख) एक पंथ दो काज।

(ग) घर का भेदी लंका ढाए।

(घ) दूध का दूध, पानी का पानी

(ङ) ऊँची दुकान फीका पकवान

4. (क) मुहावरे लोक-मानस की चिरसंचित अनुभूतियाँ हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है और एक विलक्षण अर्थ ध्वनित होने लगता है।

(ख) यह ऐसी उक्ति है, जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे 'कहावत' भी कहते हैं। ये प्रायः लोक-अनुभव पर आधारित होती हैं।

(ग) 'मुहावरा' वाक्यांश होता है और इसका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि 'लोकोक्ति' पूर्ण वाक्य होता है, जिसका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग हो सकता है।

26 विराम चिह्न

1. (क) कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है–

- क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के साथ; जैसे–
  चार दिशाएँ होती हैं– (i) पूर्व, (ii) पश्चिम, (iii) उत्तर, (iv) दक्षिण।
- कभी-कभी वाक्य के प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्द को कोष्ठक में रखा जाता है; जैसे–

(i) तुलसीदास (महाकाव्य लेखक) पहले एक साधारण व्यक्ति थे।

(ii) बुरे लोगों (दुर्जन) से दूर ही रहना चाहिए।

(ख) योजक चिह्न का प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है; जैसे–

देश-विदेश, सुख-दुःख, घर-घर, भारत-रत्न, तन-मन-धन आदि।

(ग) निर्देशक चिह्न (डैश) का प्रयोग वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है–

- किसी उद्धरण के या कथन के पहले अल्पविराम (,) के स्थान पर; जैसे–

(i) रामानुज ने कहा– "ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है।"

• किन्हीं वस्तुओं, कार्यों आदि का ब्यौरा देने में; जैसे–

पिता जी निम्नलिखित सामान लाए– चीनी, दालें, फल, मसाले, सब्जियाँ, चटनी और मुरब्बा।

(घ) अवतरण या उद्धरण चिह्न के निम्नलिखित दो रूप हैं–

(i) इकहरा अवतरण चिह्न (‘.....’)

(ii) दुहरा अवतरण चिह्न (“.....”)

इकहरे अवतरण चिह्न (‘.....’) का प्रयोग–

इकहरे अवतरण चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है–

(i) वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार–पत्र आदि का नाम लिखने में इकहरे उद्धरण चिह्नों का प्रयोग किया जाता है; जैसे–

• ‘चंपक’ बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका है।

(ii) सूक्तियों या कहावतों को स्पष्ट करने के लिए काव्य पंक्तियाँ, पदबन्धों और उपवाक्यों में इकहरे अवतरण चिह्न का प्रयोग होता है; जैसे–

• तुलसीदास जी ने सत्य ही लिखा है, ‘बिनु भय होई न प्रीति।’

दुहरे अवतरण चिह्न (‘‘.....’’) का प्रयोग–

लेखक या वक्ता के कथन को यथावत् उद्धृत करने में इसका प्रयोग किया जाता है; जैसे–

• अध्यापक ने निर्देश दिया–‘‘विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर अध्ययन करना चाहिए।’’

2. कप्तान ने कहा, ‘‘मुझे भय है कि इस भयंकर तूफान से जहाज शीघ्र ही टुकड़े–टुकड़े हो जाएगा। इसलिए तुरन्त नाव समुद्र में उतारो, जिससे हम डूबने से बच सकें।’’

27 वाक्य-भेद

1. (क) (iii) (ख) (iii) (ग) (ii)

2. (क) (v) (ख) (iv) (ग) (i) (घ) (ii) (ङ) (iii)

3. (क) ✓ (ख) ✓ (ग) ✗ (घ) ✗ (ङ) ✗

4. (क) मोहन **पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकें छाँट रहा है।**

(ख) मेरे पिताजी **आज शाम को दिल्ली जाएँगे।**

(ग) **मेरी छोटी बहन** पुस्तक पढ़ रही है।

(घ) **रमेश के बड़े भाई का लड़का** परीक्षा में पास हो गया है।

5. (क) जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं।

(ख) उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं।

(ग) जिस वाक्य में केवल एक ही कर्त्ता और एक ही क्रिया हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं।

(घ) इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित वाक्य होते हैं, जो समुच्चयबोधक से जुड़े होते हैं।

(ङ) अर्थ की दृष्टि से वाक्य के मुख्यतः आठ भेद होते हैं।

(च) जिन वाक्यों में क्रिया के विधान (सम्पन्न होने) के सामान्य रूप में होने का बोध होता है, उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं; जैसे–

- कुसुम खाना खाएगी।
- कुसुम से खाना खाया जाएगा।
- कुसुम खाना खाती है।
- कुसुम ने खाना खाया।

(छ) जिन वाक्यों में क्रिया के विधान (सम्पन्न होने) का निषेध किया जाता है, उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं; जैसे–

- कुसुम खाना नहीं खाएगी।
- कुसुम से खाना खाया नहीं जाएगा।

(ज) आज्ञार्थक वाक्यों में किसी कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना आदि की जाती है जबकि इच्छार्थक वाक्यों में कर्त्ता अपनी इच्छा प्रकट करता है।

28 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन

1.	ऐकता		एकता	✓	रिषी		ऋषि	✓
	समाजिक		सामाजिक	✓	सोड़ा		सोडा	✓
	बीमारी	✓	बिमारी		घबराना	✓	घबड़ाना	
	आधीन		अधीन	✓	शमशान		श्मशान	✓

उजवल		उज्ज्वल	✓	चांद		चाँद	✓
क्षत्रिय	✓	छत्री		सामग्री	✓	सामिग्री	

2. (क) तुम रात को बहुत सोए।
   (ख) क्या ऐसा हो सकता है?
   (ग) घायल आदमी के प्राण निकल गए।
   (घ) मोहन फूट-फूटकर रो रहा था।
   (ङ) उसके अच्छे दिन बीत गए।
   (च) मेरे पिताजी कल आएँगे।
   (छ) जयशंकर प्रसाद महाकवि थे।
   (ज) आज हमें विद्यालय जाना है।

29 अपठित गद्यांश

स्वयं करें।

30 पत्र-लेखन

1. (क) (iv) (ख) (i) (ग) (i)

31 निबन्ध-लेखन

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (i)
2. (क) (v) (ख) (iii) (ग) (iv) (घ) (ii) (ङ) (i)
3. (क) कला (ख) वर्णनात्मक या विवरणात्मक
   (ग) विचार-प्रबन्ध (घ) भाव-प्रधान
   (ङ) उत्कृष्ट

1 भाषा एवं व्याकरण

1. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (i)

2. (क) ✓ (ख) ✗ (ग) ✓ (घ) ✓
(ङ) ✗

3. (क) (ii) (ख) (iv) (ग) (i) (घ) (iii)

4. (क) देवनागरी (ख) ब्राह्मी लिपि (ग) मौखिक (घ) भाषा

5. (क) शब्दों के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया 'भाषा' कहलाती है। दूसरे शब्दों में, "भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है।" भाषा के तीन रूप हैं– मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक।

(ख) भाषा तथा बोली में मुख्य रूप से निम्नलिखित अन्तर होते हैं–

1. भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है; जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है।
2. बोलियाँ किसी एक ही भाषा का अंग होती हैं।
3. भाषा व्याकरणसम्मत होती है; जबकि बोली व्याकरणसम्मत नहीं होती।
4. साहित्य की रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है; जबकि बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है।
5. बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र में बोली का प्रयोग करते हैं। क्षेत्र के बाहर वे भाषा का प्रयोग करते हैं।

(ग) व्याकरण के निम्नलिखित विभाग किए जाते हैं–

1. वर्ण-विभाग– इसके अन्तर्गत वर्णों का आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग, सन्धि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है।
2. शब्द-विभाग– इसके अन्तर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति आदि से सम्बन्धित नियमों आदि की जानकारी प्राप्त होती है।
3. वाक्य-विभाग– व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उनके सम्बन्ध, वाक्य-विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिह्न आदि के बारे में विचार किया जाता है।

2 वर्ण विचार

1. (क) (iii) (ख) (ii)
2. (क) ✓ (ख) ✓ (ग) ✗ (घ) ✓
3. (क) (ii) (ख) (iv) (ग) (iii) (घ) (i)
4. (क) वर्ण (ख) वर्णमाला (ग) स्वरों
5. (क) भाषा की सबसे छोटी ध्वनि–इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं।

   (ख) जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है अर्थात् जिसके बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर (Vowels) कहते हैं; जैसे– अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ तथा औ ग्यारह स्वर वर्ण होते हैं।

   (ग) स्वर के सहयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण सम्भव नहीं है, किन्तु इसे लिखा जा सकता है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलन्त कहते हैं; जैसे–

   क् (हलन्त) + अ = क, क् + ऊ = कू,

   क् + ए = के, क् + ओ = को

3 शब्द विचार

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (i)
2. (क) ✗ (ख) ✓ (ग) ✗ (घ) ✗
3. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (ii) (घ) (v)
   (ङ) (i)
4. (क) कुम्हार (ख) काग (ग) दूध (घ) नाक
   (ङ) सुनार (च) आँख (छ) कपूत (ज) ओठ
5. (क) वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तब उसे पद कहते हैं।

   (ख) दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं; जैसे–

   क + ल + म = कलम

   भ् + आ + र + त = भारत

   (ग) जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों तथा जिनका अर्थ निश्चित होता है; योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं; जैसे–हिमालय, (हिम = बर्फ,

आलय = घर), परन्तु यहाँ अर्थ 'बर्फ का घर' न होकर एक पर्वत विशेष होता है।

(घ) उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं।

4 संज्ञा

1.

सतीत्व	सर्वनाम	संज्ञा ✓	क्रिया
लिखाई	विशेषण	क्रिया ✓	संज्ञा
मिठास	विशेषण ✓	क्रिया	संज्ञा
अहंकार	सर्वनाम ✓	विशेषण	क्रिया

2. (क) ✓ (ख) ✗ (ग) ✓ (घ) ✗

3. (क) व्यक्तिवाचक संज्ञा (ख) जातिवाचक
(ग) नाम (घ) भाववाचक संज्ञा

4. (क) किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।

(ख) जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध कराता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनसे पूरी जाति का बोध होता है; जैसे– नगर, नदी, देश, बालक, पुस्तक आदि।

(ग) जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, तब उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है; जैसे–

- पता नहीं आज भी देश में न जाने कितने **जयचन्द** हैं।

'जयचन्द' यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किन्तु यहाँ इसका प्रयोग उन सभी लोगों के लिए हुआ है, जिनका चरित्र जयचन्द के समान है; अतः यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है।

(घ) जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाने लगता है, तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है; जैसे– **शास्त्री जी** देश के द्वितीय प्रधानमन्त्री बने।

यहाँ पर 'शास्त्री जी' शब्द जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि यह 'लालबहादुर शास्त्री' के लिए प्रयुक्त हुआ है।

5 लिंग

1. (क) (iii) (ख) (ii)
2. (क) ✗ (ख) ✓ (ग) ✓ (घ) ✗
3. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (i) (घ) (ii)
4. (क) चाचा, काका, दादा, नाना
   (ख) लगाव, झुकाव, बहाव, ठहराव
   (ग) पाठक, लेखक, गायक, शासक
5. (क) शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, लिंग कहलाता है।
   (ख) शब्दों का वह रूप जिसमें स्त्री जाति का स्पष्ट बोध हो जाए, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं; जैसे– लकड़ी, बकरी, गाय, घोड़ी, शेरनी, औरत, चुहिया तथा मोरनी आदि।
   (ग) पदवाची शब्दों का लिंग–निर्णय वाक्य की क्रिया के आधार पर किया जाता है।
   (घ) अप्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग–भेद जानने के लिए निश्चित नियम नहीं है, फिर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं–
      1. मोटी, भारी–भरकम, बड़ी तथा बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएँ प्रायः पुल्लिग होती हैं– कूड़ा, बण्डल, गट्ठर, बोरा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, ट्रक, जहाज आदि।
      2. देश, पर्वत, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, मास, वार, रत्न, द्रव आदि के नाम प्रायः पुल्लिग होते हैं।

6 वचन

1. (क) (ii) (ख) (iii)
2. (क) एकवचन (ख) बहुवचन
   (ग) एकवचन (घ) बहुवचन
   (ङ) बहुवचन (च) एकवचन में बहुवचन की क्रिया
   (छ) एकवचन (ज) बहुवचन

3. (क) शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या एक–से अधिक होने का बोध होता है, वचन कहलाता है; जैसे– पंखा–पंखे, नदी–नदियाँ आदि।

(ख) वचन के दो भेद होते हैं– **1.** एकवचन, **2.** बहुवचन। एक का बोध कराने वाले शब्द एकवचन कहलाते हैं; जैसे– नदी, गधा, रात्रि, मुनि, बहन, कुत्ता, ताला, कपड़ा और माला आदि। एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं; जैसे– नदियाँ, कुत्ते, कपड़े, बहनें और मालाएँ आदि।

7 कारक

1. (क) (iii) (ख) (ii)

2. (क) ✗ (ख) ✓ (ग) ✗ (घ) ✓

3. (क) कोयल डाली **पर** बैठी है।

(ख) मेरी पढ़ाई **में** बहुत नुकसान हो रहा है।

(ग) अपने बालकों **को** सुशील बनाओ।

(घ) उसने अपने पाँव **में** कुल्हाड़ी मार ली।

4. (क) संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका (संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का) वाक्य की क्रिया से सीधा सम्बन्ध जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं।

(ख) जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए काम किया जाए उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के चिह्न हैं– के लिए, को; जैसे–

- माता बच्चों के लिए मिठाई लाई।
- गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में बालकों को मिठाई दी गई।

इन वाक्यों में 'बच्चों के लिये' व 'बालकों को' शब्द सम्प्रदान कारक हैं।

(ग) दोनों कारकों का विभक्ति–चिह्न 'से' है, लेकिन करण कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है, जबकि अपादान में 'से' के द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है; जैसे– कुमार मुम्बई से आया। यहाँ कुमार मुम्बई से अलग हुआ है, अतः 'मुम्बई से' में अपादान कारक है।

(घ) कारक के आठ भेद होते हैं।

8 सर्वनाम

1. (क) (ii) (ख) (iii)
2. (क) ✓ (ख) ✗ (ग) ✗ (घ) ✗
   (ङ) ✗
3. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (ii) (घ) (i)
4. (क) जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं।

   (ख) जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए, उसके लिए होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग तीन प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है; अतः इस आधार पर इस सर्वनाम के तीन भेद होते हैं–

   उत्तम पुरुष – मैं, हम। मध्यम पुरुष – तू, तुम। अन्य पुरुष – वह, वे, उसे आदि।

   (ग) जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं; जैसे–

   वे जा रहे हैं। वह आ रहा है। ये पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में वे, वह, यह ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं।

9 विशेषण

1. (क) (iii) (ख) (i) (ग) (iv)
2. (क) (v) (ख) (i) (ग) (ii) (घ) (iii)
   (ङ) (iv)
3. (क) काला (ख) नीले (ग) कुछ (घ) काली
   (ङ) सारे (च) कुछ
4. (क) जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण कहलाते हैं; जैसे– सुन्दर, काला, थोड़ा, कुछ आदि।

   (ख) विशेषण सात प्रकार के होते हैं–

   1. गुणवाचक विशेषण– संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, अवगुण, दशा, स्थिति,

रंग, आकार, दिशा, समय तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे–

(क) **मधुर** गीत सब सुनते हैं।

(ख) शीतल ने **लाल** टाई लगा रखी है।

2. परिमाणवाचक विशेषण– संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा अथवा परिमाण (नाप–तौल) का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे–

(क) तुम्हें **कितनी** जगह चाहिए?

(ख) **इतनी–सी** मिठाई कौन खाएगा?

परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं–

(i) निश्चित परिमाणवाचक विशेषण– चार किलोग्राम आदि।

(ii) अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण– बहुत, थोड़ा आदि।

3. संख्यावाचक विशेषण– संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे–

(क) **चार** डाकू पुलिस ने पकड़ लिए।

(ख) सुरेश मुझसे **दुगुना** भोजन करता है।

संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं–

(i) निश्चित संख्यावाचक विशेषण– पहला, तीन, तिगुना आदि।

(ii) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण– कुछ, थोड़े आदि।

4. संकेतवाचक विशेषण– संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे– **यह** सेब खट्टा है।

5. प्रश्नवाचक विशेषण– संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे– आपका **क्या** नाम है?

6. विभागवाचक विशेषण– संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की पृथकता का ज्ञान कराने वाले शब्दों को विभागवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे– **प्रत्येक** गाय ने चारा खा लिया है।

7. व्यक्तिवाचक विशेषण– किसी देश अथवा राष्ट्र के नाम से बनने वाले विशेषण शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे– भारत से भारतीय, रूस से रूसी आदि।

(ग) परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण– ज्यादा, थोड़ा, कम, बहुत आदि हैं।

(घ) जो विशेषण संज्ञा की संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे– कुछ, चार आदि। लेकिन जो विशेषण संज्ञा की मात्रा बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे– थोड़ा, ज्यादा आदि।

(ङ) संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे–

- उस महिला ने फल खाए।
- यह सेब खट्टा है।

10 क्रिया

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (i)

2. (क) ✓ (ख) ✓ (ग) ✓ (घ) ✓
   (ङ) ✗ (च) ✓ (छ) ✗ (ज) ✓

3. (क) मैंने फल खा लिया। सकर्मक
   (ख) बालक को उसके पिता ने अपनी ओर खींच लिया। सकर्मक
   (ग) आपके लिए यह कलंक की बात होगी। सकर्मक
   (घ) मैं नहीं आ सकता। अकर्मक
   (ङ) रजनीकांत एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। अकर्मक

4. (क) जिस क्रिया के साथ उसका कर्म हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे– राम रोटी खा रहा है।
   इस वाक्य में 'खा रहा' क्रिया है। इसके साथ उसका कर्म रोटी भी लगा हुआ है। खाने का फल रोटी पर पड़ रहा है। अतः यह सकर्मक क्रिया है।

   (ख) जिन क्रियाओं का फल कर्त्ता पर पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे– मोना नाच रही है, सोहन रो रहा है तथा कृष्ण हँस रहा है, आदि।
   उपर्युक्त वाक्यों में जो क्रियाएँ हैं; इनका फल कर्त्ता पर ही पड़ रहा है। इनमें कोई कर्म नहीं है; अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएँ हैं।

   (ग) कोई भी क्रिया सदैव न तो अकर्मक होती है और न ही सकर्मक। यह तो उस क्रिया के वाक्य में प्रयोग पर निर्भर करता है। एक ही क्रिया को

अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जा सकता है; जैसे–

अकर्मक क्रिया	**सकर्मक क्रिया**
स्त्री नहाती है।	स्त्री बालक को नहलाती है।
सिपाही मारता है।	सिपाही शत्रु को मारता है।

(घ) कुछ क्रियाओं के दो कर्म होते हैं; उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे– मैं कृष्णकान्त को व्याकरण पढ़ाता हूँ।
इस वाक्य में 'पढ़ना' क्रिया के दो कर्म हैं– 'कृष्णकान्त को' और 'व्याकरण'। यहाँ 'पढ़ना' क्रिया 'द्विकर्मक क्रिया' है।

(ङ) जब कर्त्ता एक क्रिया को समाप्त करते ही, दूसरी क्रिया को प्रारम्भ कर देता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं; जैसे– उसने नहाकर भोजन किया है।

11 काल

1. (क) (ii) (ख) (i) (ग) (i)
2. (क) (ख) ✓ (ग) ✓ (घ) ✓
   (ङ) (च) (छ) ✓ (ज) ✓
   (झ) (ञ) ✓
3. (क) सामान्य भूतकाल (ख) हेतुहेतुमद भूतकाल
   (ग) सामान्य भूतकाल (घ) अपूर्ण वर्तमान
   (ङ) हेतुहेतुमद भविष्यत् काल (च) सम्भाव्य वर्तमान
4. (क) सम्भाव्य भूतकाल (ख) पूर्ण भूत
   (ग) सामान्य भूतकाल (घ) अपूर्ण वर्तमान
5. (क) जब क्रिया से किसी काम का होना चल रहे समय में पाया जाता है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित पाँच भेद होते हैं–
   (i) सामान्य वर्तमान काल– क्रिया के जिस रूप में उसका सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का बोध हो, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–
   - कृष्ण जाता है। • मैं पढ़ता हूँ।

(ii) तात्कालिक वर्तमान काल– क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में लगातार होते रहने का ज्ञान हो, तो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–

• वह जा रहा है। • मैं पढ़ रहा हूँ।

(iii) पूर्ण वर्तमान काल– क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि वह वर्तमान काल में पूर्ण हो गई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–

• मैंने यह पुस्तक खरीदी है। • वह गया है।

(iv) संदिग्ध वर्तमान काल– क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का अनुमान लगाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–

• शीला सोती होगी। • प्रेम पानी पीता होगा।

(v) सम्भाव्य वर्तमान काल– क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में पूरा होने की सम्भावना हो, उसे सम्भाव्य वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–

• सम्भवतः शशि खेल रही हो। • शायद राहुल गया हो।

(ख) जब क्रिया से किसी काम का होना आजकल के समय में पाया जाता है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं।

• मैं भोजन कर रहा हूँ। • नीरज खेलता है।

(ग) स्वयं करें।

(घ) क्रिया के जिस रूप से उसकी बीते हुए समय में सम्पन्न होने या क्रियान्वित होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं; जैसे–

(i) हरीश वहाँ भोजन कर रहा था।

(ii) मैं कानपुर गया था।

(ङ) क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसको भविष्यत् काल कहते हैं; जैसे–

(i) सुनीता पुस्तक पढ़ेगी। (ii) नरेश कल घर जाएगा।

12 क्रिया-विशेषण

1. (क) (iii) (ख) (iii)

2. (क) खूब (ख) हर समय (ग) शीघ्र (घ) ज्यादा

3. (क) जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया-विशेषण कहलाते हैं।

(ख) क्रिया-विशेषण चार प्रकार के होते हैं-

1. स्थानवाचक, 2. कालवाचक,
3. रीतिवाचक, 4. परिमाणवाचक।

(ग) विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं; जैसे- सुन्दर लड़की। जबकि क्रिया-विशेषण क्रिया की विशेषता बताते है; जैसे- तेज चलो।

13 सम्बन्धबोधक अव्यय

1. (क) (ii) (ख) (iii)

2. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (i) (घ) (ii)

3. (क) के साथ (ख) के खिलाफ
(ग) में (घ) अतिरिक्त
(ङ) योग्य

4. (क) सम्बन्धबोधक अव्यय वे पद होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध बताते हैं।

(ख) प्रयोग की दृष्टि से सम्बन्धबोधक चौदह प्रकार के होते हैं।

(ग) हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो सम्बन्धबोधक और क्रिया-विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है, तब ये सम्बन्धबोधक होते हैं, परन्तु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया-विशेषण होते हैं; जैसे-

1. **यह** काम पहले करो। (क्रिया-विशेषण)
काम करने **के पहले** विचार करो। (सम्बन्धबोधक)
2. **भीतर** चलो। (क्रिया-विशेषण)
दुकान के **भीतर** चलो। (सम्बन्धबोधक)

14 समुच्चयबोधक अव्यय

1. (क) (ii) (ख) (iii)

2. (क) समुच्चयबोधक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है।

(ख) संयोजक – और, तथा।

विभाजक – या, अथवा।

(ग) समानाधिकरण समुच्चयबोधक के चार भेद होते हैं।

1. संयोजक– और, तथा 2. विभाजक– या, अथवा

3. विरोधवाचक– किन्तु, मगर 4. परिणामवाचक– इसलिए, अतः

(घ) जिन पदों (शब्दों) के द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे– कि, जो–तो, यदि, यद्यपि, तथापि।

15 विस्मयादिबोधक अव्यय

1. (क) (iv) (ख) (i) (ग) (iv)

2. (क) (iii) (ख) (v) (ग) (i) (घ) (ii)

(ङ) (iv)

3. (क) अरे! (ख) वाह! (ग) हाय! (घ) वाह!

(ङ) धत्!

1. (क) जो शब्द हमारे तीव्र मनोभावों (हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि) को प्रकट करते हैं, किन्तु उनका सम्बन्ध वाक्यों या वाक्य के किसी पद (शब्द) से न हो, विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं।

(ख) स्वयं करें।

(ग) स्वयं करें।

(घ) विस्मयादिबोधक अव्यय की विशेषताएँ

1. इनके बाद (!) चिह्न लगाया जाता है।

2. ये प्रायः वाक्य के प्रारम्भ में आते हैं।

3. इनका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता।

4. इनके द्वारा भावों की तीव्रता प्रकट होती है।

16 उपसर्ग

1. **परि** + पूर्ण = परिपूर्ण **अन** + पढ़ = अनपढ़

प्र + बल	=	प्रबल	**अव** + गुण	=	अवगुण
निस् + चल	=	निश्चल	नि + वारण	=	निवारण
बद + नाम	=	बदनाम	**बे** + गुनाह	=	बेगुनाह
स + पूत	=	सपूत	**प्रति** + क्षण	=	प्रतिक्षण
प्रति + एक	=	प्रत्येक	**अति** + उत्तम	=	अत्युत्तम

2.

नामुराद	= ना	बर्खास्त	= बर्
पराजय	= परा	विज्ञान	= वि
संकल्प	= सम्	आकर्षण	= आ
अपयश	= अप	आगमन	= आ
अधिपति	= अधि	अन्याय	= अ
अभिसार	= अभि	उपवन	= उप

3. (क) शब्द के प्रारम्भ में जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं; जैसे–
उप + वन = उपवन; प्रति + एक = प्रत्येक आदि।

(ख) हिन्दी में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं; जैसे–
हिंदी के उपसर्ग– अन, अध, उन्, कु, भर आदि
संस्कृत के उपसर्ग– अ, अति, अध आदि
विदेशी उपसर्ग– ब, बा, बे, गैर, खुश आदि।

17 प्रत्यय

1. (क) (i) दुखिया (ii) सुखिया (ख) (i) रिक्शावाला (ii) गाड़ीवाला
(ग) (i) खेवनहारा (ii) लकड़हारा (घ) (i) लुहार (ii) कहार

2. (क) प्रत्यय किसी शब्द के अन्त में जोड़ा जाता है; जैसे–'सौभाग्य' शब्द के अन्त में 'वती' प्रत्यय जोड़ने से 'सौभाग्यवती' शब्द बनता है। इसके विपरीत उपसर्ग को किसी शब्द के आरम्भ में जोड़ा जाता है; जैसे–'शासन' शब्द के आरम्भ में 'अनु' उपसर्ग जोड़ने से 'अनुशासन' शब्द बनता है।

(ख) धातुओं के अंत में जिन प्रत्ययों के लगाने से धातु, संज्ञा व विशेषण आदि में परिवर्तन हो जाता है, वे शब्द कृदन्त प्रत्यय कहलाते हैं; जबकि तद्धित प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेष आदि में लगाए जाते हैं।

(ग) प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं; जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में

परिवर्तन कर देते हैं; जैसे– 'मीठा' शब्द में 'आई' प्रत्यय जोड़कर 'मिठाई' शब्द बनाया गया है।

(घ) प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं; जैसे– कृत् प्रत्यय – पढ़ाई, लिखाई आदि। तद्धित प्रत्यय – मानवता, बचपन आदि।

18 सन्धि

1. (क) दीर्घ सन्धि (ख) दीर्घ सन्धि (ग) विसर्ग सन्धि
   (घ) वृद्धि सन्धि (ङ) दीर्घ सन्धि

2. (क) सूक्ति (ख) स्वागतम् (ग) न्यून
   (घ) दास्यापराध (ङ) रेखांकित

3. (क) 'सन्धि' शब्द का शब्दिक अर्थ है 'मेल' तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इसका उचित अर्थ 'मेल' ही माना गया है। प्रथम शब्द के अन्तिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में 'मेल' कराते हैं। ये दोनों वर्ण आपस में मिलकर दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त नया शब्द सन्धि कहलाता है।

   जैसे– इति + आदि = इ + त् + इ + आ + द् + इ
   = इ + त् + या + द् + इ
   = इ + त् + या + द् + इ
   = इ + त्या + दि
   = इत्यादि।

   (ख) सन्धि तीन प्रकार की होती है–
   1. स्वर सन्धि – हिम + आलय = हिमालय।
   2. व्यंजन सन्धि – दिक् + गज = दिग्गज।
   3. विसर्ग सन्धि – निः + रोग = नीरोग।

   (ग) जब दो शब्दों के संयोग में प्रथम का अन्तिम एवं दूसरे का प्रथम वर्ण स्वर वर्ण हो, तो उसे स्वर सन्धि कहते हैं।
   जैसे– शिव + आलय। इसमें 'शिव' (व् + अ) का (अ) एवं 'आलय' का 'आ' मिलता है। दोनों स्वर हैं। अतः यह स्वर सन्धि है।

(घ) जब व्यंजनवर्ण से स्वर या व्यंजन का संयोग होता है, तब उसे व्यंजन सन्धि कहते हैं; जैसे–

अहम्	+	कार	=	अहंकार		उत्	+	लास	=	उल्लास
सम्	+	गम	=	संगम		उत्	+	नति	=	उन्नति

(ङ) विसर्ग (:) के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग को विसर्ग सन्धि कहते हैं; जैसे–

निः	+	चय	=	निश्चय		निः	+	छल	=	निश्छल
धनुः	+	टंकार	=	धनुटंकार		निः	+	तार	=	निस्तार

(च) स्वर सन्धि 5 प्रकार की होती है;

दीर्घ सन्धि – हिम + आलय = हिमालय।

गुण सन्धि – सुर + ईश = सुरेश।

वृद्धि सन्धि – सदा + एव = सदैव।

यण् सन्धि – यदि + अपि = यद्यपि।

अयादि सन्धि – पो + अन = पवन।

19 समास

1. (क) (ii) (ख) (iii)
2. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (iv) (घ) (i)
3. (क) जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर 'और', 'अथवा', 'या', 'एवं' लगता है, वह द्वन्द्व समास कहलाता है; जैसे–

समस्त पद	**समास-विग्रह**	**समस्त पद**	**समास-विग्रह**
सीता–राम	सीता और राम	माता–पिता	माता और पिता
राजा–रंक	राजा और रंक	सुख–दुख	सुख या दुख

(ख) जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों (का, के, की, को, के लिए, से, में, पे, पर) का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं; जैसे–

समस्त पद	**समास-विग्रह**	**समस्त पद**	**समास-विग्रह**
देशभक्ति	देश के लिए भक्ति	गंगाजल	गंगा का जल

(ग) संक्षेप करना अर्थात् कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थ व्यक्त करना समास का मुख्य प्रयोजन है।

समास के निम्नलिखित छह भेद किए जाते हैं–

1. तत्पुरुष समास 2. कर्मधारय समास
3. द्विगु समास 4. बहुब्रीहि समास
5. द्वन्द्व समास 6. अव्ययीभाव समास

(घ) सामासिक पदों के बीच के सम्बन्ध को स्पष्ट करना समास-विग्रह कहलाता है।

(ङ) कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है; जैसे– नीलकण्ठ। नीला कण्ठ अर्थ है, न कि कोई अन्य, जबकि बहुब्रीहि समास में विशेषण-विशेष्य का सम्बन्ध नहीं होता। इस समास में शब्दार्थ गौण होता है और भिन्नार्थ प्रधान हो जाता है; जैसे– नीलकंठ = नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात् शिव।

20 शब्दकोष

1. (क) (iii) (ख) (iii) (ग) (ii)

2. (क) ✓ (ख) ✓ (ग) ✗ (घ) ✓
(ङ) ✗

3. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (ii) (घ) (v)
(ङ) (i)

4. (क) सुलभ (ख) परिक्रमा (ग) लगातार (घ) चतुर्वेद
(ङ) अष्टाग्रही

5. (क) संस्कृत के शब्द तत्सम तथा उनके परिवर्तित रूप तद्भव शब्द कहलाते है; जैसे– दुग्ध (दूध), दधि (दही)।

(ख) एक-दूसरे का उलटा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते है।

(ग) एक-दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।

(घ) जिन शब्दों का रूप लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं।

(ङ) जो शब्द किसी वस्तु की संख्या प्रकट करते हैं, उन्हें संख्यावाची शब्द कहते हैं; जैसे– 'चारमीनार' शब्द में 'चार' संख्यावाची शब्द है।

21 वाच्य

1. (क) (iii) (ख) (ii)
2. (क) क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्त्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं।

(ख) 1. कर्त्ता के साथ 'से, द्वारा' या 'के द्वारा' जोड़ दिया जाता है; जैसे– राम पुस्तक पढ़ता है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है।

2. कर्म के बाद मुख्य धातु में 'आ' अथवा 'या' को जोड़ दिया जाता है; जैसे– राम टी०वी० देखता है। राम से टी०वी० देखा जाता है। (देख + आ)

3. क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होता है; जैसे– देवेन्द्र से केला खाया जाता है। देवेन्द्र से लीचियाँ खाई जाती हैं।

4. यदि कर्म न दिया हो तो क्रिया एकवचन पुल्लिंग होती है; जैसे– मोहन दौड़ता है। मोहन से दौड़ा जाता है।

(ग) कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है; जैसे– बढ़ई द्वारा मेज़ बनाई जाती है। जबकि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है; जैसे– मुझसे चला नहीं जाता।

22 पद-परिचय

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (i)
2. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (iv) (घ) (i)
3. स्वयं करें।
4. (क) वाक्य में पदों के रूप और उनका पारस्परिक सम्बन्ध बताने में जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। वह पद–परिचय कहलाती है।

(ख) 1. संज्ञा – भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य पदों से सम्बन्ध ।

2. सर्वनाम – भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य पदों से सम्बन्ध ।

3. विशेषण – भेद, वाच्य-प्रयोग, काल, अवस्था, विधि या प्रकार तथा अन्य पदों से सम्बन्ध ।

4. क्रिया-विशेषण – भेद, विशेष्य, क्रिया, विकार तथा अन्य पदों से सम्बन्ध ।

(ग) पद-परिचय ज्ञात होने पर शब्दों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वाक्य में प्रयोग करने पर भाषा प्रभावशाली बन जाती है।

23 वाक्य-विचार

1. (क) (ii) (ख) (i) (ग) (iii)

2. (क) (i) शाबाश! तुमने कमाल कर दिया। (ii) ओह! यह क्या हो गया?

(ख) (i) वह घर चला गया होगा। (ii) पिताजी आते होंगे।

(ग) (i) ईश्वर आपको दीर्घायु करे! (ii) भगवान आपका भला करें।

(घ) (i) मैं पत्र लिख रहा हूँ। (ii) नेताजी भाषण दे रहे हैं।

(ङ) (i) उसने खाना नहीं खाया। (ii) मैं बाहर नहीं खेला।

(च) (i) यहाँ बैठ जाइए। (ii) अपने घर जाइए।

(छ) (i) तुम्हारा क्या नाम है? (ii) तुम कहाँ रहते हो?

3. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (ii)

(घ) (v) (ङ) (i)

4. (क) अग्रज (ख) सुलभ (ग) भाव

(घ) आज्ञावाचक (ङ) पद

5. (क) वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसको उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा उद्देश्य की क्रिया या विशेषता बतलाई जाती है, उसको विधेय कहते हैं; जैसे– प्रेरणा खेलती है।

उपर्युक्त उदाहरण से वाक्य में 'प्रेरणा' उद्देश्य है तथा 'खेलती है' विधेय है।

(ख) किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर रखने को क्रम कहते हैं; जैसे– हरिकृष्ण ने भोजन किया। इस वाक्य में पहले 'कर्त्ता' फिर 'कर्म' और बाद में 'क्रिया' को रखा गया है।

(ग) शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, जिसके द्वारा कहने या लिखने वाले का पूर्ण भाव स्पष्ट होता है; जैसे– पंकज एक अच्छा मित्र है।

(घ) रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, जो निम्नांकित हैं–
(i) सरल वाक्य – मैं पढ़ता हूँ।
(ii) मिश्रित वाक्य – यदि पढ़ोगे तो पास होगे।
(iii) संयुक्त वाक्य – अमन पढ़ता है लेकिन नमन सो रहा है।

(ङ) जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अधीन दूसरा अन्य वाक्य हो अर्थात् जिसमें उद्देश्य या विधेय एक से अधिक हों; तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं; जैसे– राहुल और नितिन खाना खा रहे हैं।

24 विराम-चिह्न

1. (क) (ii) (ख) (iii) (ग) (i)
2. (क) ✗ (ख) ✓ (ग) ✓ (घ) ✗
3. (क) (iii) (ख) (iv) (ग) (ii) (घ) (v)
   (ङ) (i)
4. (क) प्रश्नसूचक (ख) उद्धरण चिह्न (ग) निर्देशक चिह्न
   (घ) कोष्ठक चिह्न (ङ) अर्द्ध विराम (च) अल्पविराम
   (छ) विस्मयसूचक (ज) अपूर्ण विराम
5. (क) एक बात पूरी हो जाने पर अर्थात् वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम (।) लगाया जाता है; जैसे– निखिल मीठा दूध पी चुका है।

   (ख) **योजक–** द्वन्द्व समास वाले शब्दों में योजक (–) लगाया जाता है; जैसे– माता–पिता, अपना–पराया आदि।

   अवतरण चिह्न– वक्ता के कथन को ज्यों–का–त्यों दर्शाने के लिए अवतरण चिह्न (“.....”) लगाए जाते हैं; जैसे– गाँधी जी ने कहा, “सत्य और अहिंसा से शत्रु को भी जीता जा सकता है।”

   (ग) वक्ता के कथन को ज्यों–का–त्यों दर्शाने के लिए अवतरण चिह्न (“....”) लगाए जाते हैं; जैसे– गाँधी जी ने कहा, “सत्य और अहिंसा से शत्रु को भी जीता जा सकता है।”

   (घ) किसी भी भाषा के सम्यक् ज्ञान एवं सुप्रयोग के लिए विराम–चिह्नों की जानकारी अनिवार्य है। यदि हम बिना विराम बोलते या लिखते चलें जाएँ, तो श्रोता या पाठक के लिए उस भाषा को समझना कठिन हो जाएगा; अतः

कथन को स्पष्ट शैली, गतिमय और विचारों को सुबोध बनाने के लिए विराम-चिह्नों का अभ्यास आवश्यक है।

(ङ) वाक्य में आधी बात पूरी हो जाने पर अर्द्ध विराम (;) लगाया जाता है; जैसे– राम मेरे पास आया तो था; परन्तु उस समय मैं काम में व्यस्त था। वाक्य में कुछ समान शब्दों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए अल्प विराम (,) लगाया जाता है; जैसे– मैं, तुम और राजेश कल दिल्ली चलेंगे।

25 वाक्य-विश्लेषण

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (i)

2.

(क)	सूर्य अस्त हुआ	प्रधान उपवाक्य
	और	संयोजक
	निशा ने अपने काले केश बिखरा दिए।	समानाधिकरण उपवाक्य
(ख)	वह मैंने खरीद लिया	प्रधान उपवाक्य
	मुझे जो खरीदना था	आश्रित उपवाक्य
(ग)	मैंने एक सुन्दर स्त्री देखी	प्रधान उपवाक्य
	जो	संयोजक
	बड़ा सुरीला गाती थी।	आश्रित उपवाक्य
(घ)	आगरा का ताजमहल बहुत सुन्दर	प्रधान उपवाक्य
	और	संयोजक
	दर्शनीय है।	समानाधिकरण उपवाक्य
(ङ)	पुस्तक में	उद्देश्य
	एक कठिन प्रश्न था।	विधेय
(च)	वह बाज़ार गया।	प्रधान उपवाक्य
	और	संयोजक
	वहाँ उसने फल खरीदे।	समानाधिकरण उपवाक्य

3. (क) किसी वाक्य के अंग-प्रत्यंग (कर्त्ता, कर्त्ता-विस्तार, कर्म, कर्म-विस्तार, कारक, क्रिया-विशेषण, क्रिया, योजक आदि) को अलग-अलग करके उनके आपसी सम्बन्धों को प्रकट करना ही 'वाक्य-विश्लेषण' कहलाता है।

(ख) सरल वाक्य का विश्लेषण करने के लिए उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है–

1. उद्देश्य, 2. विधेय।

(ग) इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पद आते हैं–

(i) कर्म,

(ii) कर्म का विस्तार (विशेषण पद या पदबन्ध),

(iii) क्रिया–पद या क्रिया–पदबन्ध,

(iv) क्रिया–विशेषण पद या पदबन्ध,

(v) पूरक पद या पदबन्ध,

(vi) अन्य कारकीय पद तथा पदबन्ध।

(घ) संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य योजक–चिह्नों से जुड़े होते हैं। सबसे पहले संयुक्त वाक्यों के योजक–चिह्न हटाकर उन्हें साधारण वाक्यों में बदल लेते हैं। फिर इन साधारण वाक्यों का उपर्युक्त रीति से विश्लेषण कर लेते हैं। इन साधारण वाक्यों में एक मुख्य तथा दूसरा उससे जुड़ा हुआ वाक्य रहता है। इनमें मुख्य वाक्य प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा वाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है।

(ङ) मिश्रित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और गौण उपवाक्य योजक द्वारा सुगठित होते हैं। उनके विश्लेषण के लिए सबसे पहले प्रधान उपवाक्य की पहचान कर लेते हैं। इसके बाद गौण उपवाक्यों की पहचान करके उनके कार्य का उल्लेख करते हैं। योजकों को अलग करके साधारण वाक्यों की भाँति उनका विश्लेषण कर लेते हैं; जैसे–

जो विद्यार्थी परिश्रमपूर्वक पढ़ते हैं, वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं।

वाक्य-विश्लेषण

वे उत्तीर्ण अवश्य होते हैं।	प्रधान उपवाक्य
जो विद्यार्थी परिश्रमपूर्वक पढ़ते हैं।	विशेषण उपवाक्य

'वे' सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है।

26 वाक्य-संश्लेषण

1. (क) (i) (ख) (i) (ग) (iv)

2. (क) वे ईश्वर में आस्था रखते हैं, क्योंकि वे सब आस्तिक हैं।

(ख) पटरी से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें गाड़ी कुचल देगी।

(ग) छत बहुत कमजोर थी इसलिए वर्षा में गिर गई।

(घ) राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे।

(ङ) मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं।

(च) मैंने बाजार में सुना कि गोपाल की दुकान जल गई।

3. (क) तुलसी के अनुसार परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है।

(ख) प्रधानमन्त्री परमाणु-विस्फोट स्थल पर गए।

(ग) मेरी माताजी मथुरा, काशी, कन्याकुमारी आदि घूम आई हैं।

(घ) रात-दिन एक करने के बाद भी वैज्ञानिक रक्त का विकल्प नहीं ढूँढ़ पा रहे हैं।

(ङ) मीरा रस्सी को साँप समझकर डर गई।

(च) मैंने शोभना को शास्त्रीय नृत्य करते हुए देखा है।

4. (क) दो अथवा दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर उनसे एक सरल, मिश्रित अथवा संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया को वाक्य-संश्लेषण कहा जाता है। इसमें नए बने वाक्य का वही अर्थ होता है, जो अर्थ उसके मूल वाक्यों का होता है।

(ख) वाक्य संश्लेषण से तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं।

(ग) हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य की रचना निम्नलिखित पदबन्धों के द्वारा कर सकते हैं-

(i) सामान्य संज्ञा पदबन्ध के द्वारा,

(ii) पूर्वकालिक क्रिया पदबन्ध के द्वारा,

(iii) क्रिया-विशेषण पदबन्ध के द्वारा,

(iv) विशेषण पदबन्ध के द्वारा,

(v) संयोजक अव्यय 'और', 'एवम्', 'तथा' आदि के द्वारा।

(घ) सरल वाक्यों को संश्लेषित करके तीन प्रकार के मिश्रित वाक्य बनाए जा सकते हैं।

(ङ) इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को 'किन्तु', 'परन्तु', 'लेकिन' आदि विरोधवाचक संयोजक अव्ययों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है; जैसे-

सरल वाक्य – मैं वहाँ पहुँच गया। तुम नहीं आए।

वाक्य-संश्लेषण – मैं वहाँ पहुँच गया, किन्तु तुम नहीं आए।

27 वाक्य-रचनान्तरण

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (iii)

2. (क) (iv) (ख) (iii) (ग) (ii) (घ) (v) (ङ) (i)

3. (क) बच्चा रोया।
(ख) राम द्वारा रावण मारा गया।
(ग) रामायण वाल्मीकि ने लिखी।
(घ) किशोर द्वारा दिल्ली जाया जाएगा।
(ङ) बच्चे गेंद खेलेंगे।

4. (क) शशि अब सो रही होगी।
(ख) मैं चाहता हूँ रोहित धनाढ्य हो जाए।
(ग) यदि आप बुलाएँगे तो मैं आऊँगा।
(घ) मंजू, लोकगीत गाइए।
(ङ) तुम दोनों इस कार्य को नहीं कर सकते।

5. (क) जब दोपहर होगी तब विश्राम करेंगे।
(ख) मैं फिल्म देखकर सो गया।
(ग) यह प्रश्न इतना कठिन है कि कोई हल नहीं कर सकता।
(घ) जब तुलसीदास बच्चे थे, वे तभी अनाथ हो गए थे।

6. (क) एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य–रचनान्तरण कहलाता है।
(ख) यह रचनान्तरण तीन प्रकार से हो सकता है–
1. वाच्य–परिवर्तन द्वारा वाक्य–रचनान्तरण
2. रचना में परिवर्तन द्वारा वाक्य–रचनान्तरण
3. अर्थ में परिवर्तन द्वारा वाक्य–रचनान्तरण।

(ग) संकोचन का अर्थ है– सिकोड़ना। किसी विस्तृत (बड़े) वाक्य को संकोचन (सिकोड़ना) के द्वारा संकुचित (छोटा) बनाया जा सकता है; अतः वाक्य–संकोचन के द्वारा भी वाक्य–रचनान्तरण करना सम्भव है; जैसे–
1. वाक्य – कबीर पढ़े–लिखे नहीं थे, किन्तु परम ज्ञानी थे।
संकोचन द्वारा रचनान्तरण – अनपढ़ कबीर परम ज्ञानी थे।

2. वाक्य – यह बालक बहुत अधिक बोलता है।

संकोचन द्वारा रचनान्तरण – यह बालक वाचाल है।

(घ) वाक्य–संकोचन का विपरीत वाक्य–विस्तार है। वाक्य–विस्तार के द्वारा हम किसी संकुचित (छोटे) वाक्य हो विस्तृत (बड़ा) वाक्य बना सकते हैं; जैसे–

1. वाक्य – विश्वासघात अक्षम्य अपराध है।

विस्तार द्वारा रचनान्तरण – विश्वासघात ऐसा अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता।

2. वाक्य – सहनशीलता मनुष्य को महान बनाती है।

विस्तार द्वारा रचनान्तरण – सहन करने की शक्ति मनुष्य को महान बनाती है।

28 मुहावरे

1. (क) (iii) (ख) (iii) (ग) (iv)

2. (क) स्वभाव से विपरीत कार्य करना

(ख) भेद खुलना

(ग) कठिन परिश्रम करना

(घ) गहरी नींद में सोना

(ङ) भाग जाना

3. (क) भाषा में कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है; जिनका एक विशेष अर्थ लिया जाता है। इन वाक्यांशों को पूर्ण क्रिया के स्थान पर प्रयोग किया जाता है; अतः ऐसे वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं।

(ख) भाषा में मुहावरों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। संसार की लगभग सभी भाषाओं में अपने–अपने अलग–अलग मुहावरे होते हैं, जिनका इन भाषाओं में खूब प्रयोग किया जाता है। हिन्दी भाषा में इनका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा में रोचकता उत्पन्न होती है तथा किसी बात को अधिक प्रभावशाली ढंग से कहा जाता है।

29 अनुच्छेद-लेखन

1. (क) (iv) (ख) (ii)
2. अनुच्छेद एक छोटी रचना को कहा जाता है। इसमें किसी विषय को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और निजी विचारों को मूर्त रूप दिया जाता है।
3. अनुच्छेद में छात्रों को साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे उसमें प्रचलित जनप्रिय शब्दों का समावेश हो सकेगा। छात्रों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, किन्तु दुरुह और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए।

30 पत्र-लेखन

1. (क) (iii) (ख) (iii)
2. (क) पत्र मन के भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है।
   (ख) पत्र प्रारम्भ करने से पहले पत्र के बाईं ओर ऊपर जिसको पत्र लिखा जा रहा है, उसके लिए सम्बन्ध या सम्बोधन का प्रयोग करना चाहिए।
   (ग) पोस्टकार्ड अथवा लिफाफे पर जिसे पत्र भेजना है– उसका नाम, भवन, गली, मोहल्ले और नगर का नाम, पोस्ट ऑफिस, जिले व प्रदेश का नाम और पिन कोड नं. स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए।

31 निबन्ध-लेखन

1. (क) (iii) (ख) (ii) (ग) (i)
2. (क) अच्छी तरह से बँधी गद्य रचना को निबन्ध कहते हैं।
   (ख) (i) विषय सम्बन्धी जानकारी विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कर ली जाए।
   (ii) विषय के सम्बन्ध में अपने निजी अनुभवों का भी उल्लेख किया जाए।
   (ग) स्वयं कीजिए।